वाणिज्यकर विभाग से संबंधित बजटीय घोषणाएँ

- आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों के बिल्डरों द्वारा ऐसे परिसरों के विक्रय के सम्पूर्ण मूल्य पर समाहितीकरण योजना के तहत 1 प्रतिशत की दर से कर लगाया जायेगा।

- अन्य कार्य–संविदाकारों के लिए भी समाहितीकरण योजना लागू की जायेगी।

- समाहितीकरण योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत ईंट भट्ठों की निर्धारित वार्षिक कर की राशि 60,000, 80,000 एवं 1,00,000 रूपयों को 15 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा।

- तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद पर लगने वाले कर की वर्त्तमान दर को 13.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जायेगा।

- व्यापार विचलन को रोकने हेतु सिगरेट उत्पादन में प्रयुक्त होनेवाले कच्चे तम्बाकू पर प्रवेश कर की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जायेगा।

- झाड़ू, काजल, मेंहदी, मखाना, सेवई, सिंघाड़ा (सुखा), सिंघाड़े का आटा एवं रामदाना को कर मुक्त किया जायेगा।

- वर्ष 2012–13 में राज्य के बाकी बचे चारों चेक पोस्टों यथा सोहनीपट्टी (बक्सर), जलालपुर (गोपालगंज), कर्मनाशा (कैमुर) एवं दालकोला (पूर्णियाँ) को भी कार्यशील बनाया जायेगा एवं सभी चेक पोस्टों पर 24 घंटे जाँच की व्यवस्था की जायेगी।

- वाणिज्य–कर न्यायाधिकरण कार्यालय के लिए किसी उपयुक्त स्थल पर पर्याप्त जगह उपलब्ध कराकर समूचित व्यवस्था की जायेगी और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ग्लोबल टैक्स टीम से प्राप्त सुझाव के आलोक में न्यायाधिकरण की कार्यप्रणाली में सुधार लाया जायेगा।

- वाणिज्य कर विभाग के कम्प्यूटराईजेशन कार्यक्रम के सूचारू रूप से संचालन के क्रम में सामने आ रही सभी तकनीकी कठिनाईयों को अगामी वित्तीय वर्ष में दूर कर, विशेषकर लगाये गये सर्वरों को अपग्रेड कर एवं उनकी संख्या बढ़ाकर, ई–पेमेंट, ई–रिटर्न एवं केन्द्रीय प्रपत्रों का ई–निर्गमन के लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा।

- वर्ष 2012–13 में रिटन्स की स्क्रुटनी की प्रक्रिया तथा व्यवसायियों को भेजी जानेवाली सूचनाएं ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने की व्यवस्था की जायेगी।

- पेशाकर क्रियान्वयन प्रणाली को सरलीकृत करते हुए पेशाकर दाताओं के द्वारा रिटर्न फाईलिंग एवं उनके असेसमेंट की व्यवस्था को समाप्त किया जायेगा।

- वैट निबंधन हेतु निर्धारित कोर्ट फी स्टाम्प के रूप में दी जानेवाली 100 रूपये फीस की राशि को समाप्त किया जायेगा।

- सरलीकरण समिति की अनुशंसा के आलोक में उद्योगों को प्रतिपूर्ति की राशि लौटाये जाने की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जायेगा।

- भामाशाह पुरस्कार योजना को और आकर्षक बनाते हुये प्रमाण–पत्र के साथ–साथ नगद पुरस्कार की व्यवस्था की जायेगी एवं इस योजना का विस्तार भी किया जायेगा।

- बिहार में खरीद–बिक्री के क्रम में कैशमेमों प्राप्त करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कार योजना शुरू की जायेगी और लॉटरी सिस्टम से चुने गये कैशमेमों धारकों को नगद पुरस्कार दिया जायेगा।

- अखबार में प्रयोग किये जाने वाले न्युजप्रिंट को प्रवेश कर से मुक्त किया जायेगा।

- टाईनी तथा माईक्रो श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री के क्रम में लगने वाले केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया जायेगा।

- जिन वस्तुओं पर प्रवेश कर की दर वैट दर से अधिक है उनपर लगनेवाले प्रवेश कर की दर को घटाकर वैट दर के बराबर किया जायेगा।

- चैरिटेबल नॉन–प्रोफिट मेकिंग संस्थाओं द्वारा संचालित धर्मशाला, विवाह भवन एवं सामुदायिक भवनों को विलासिता कर से मुक्त किया जायेगा।

○ वित्त विधेयक के माध्यम से :–

- ❖ कर संग्रहण एवं कर प्रशासन में सरलता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उदेश्य से बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में एक नई धारा 15क जोड़ते हुए सोने, चांदी जैसी विभिन्न श्रेणी की वस्तुओं तथा रेस्तरां एवं कार्य संविदा जैसे विभिन्न श्रेणी के व्यवसायियों के लिए समाहितीकरण योजना लागू किये जाने का प्रस्ताव है।
- ❖ ईनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन की समय–सीमा निर्धारित करने, समाहितीकरण योजना का लाभ लेने वाले व्यवसायियों द्वारा दी जानेवाली ईनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमान्यता को समाप्त करने तथा क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री करनेपर ईनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमान्यता को सीमित करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 16 में संशोधन प्रस्तावित है। साथ ही, अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण के मामले में ईनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमान्यता को विस्तारित करने का भी प्रस्ताव है।
- ❖ करदेयता नहीं होने के बावजूद निबंधन लेनेवाले व्यवसायियों को 10 हजार रूपये की प्रतिभूति राशि जमा करने की अनिवायर्ता निर्धारित करने के उदेश्य से अधिनियम की धारा 19 में संशोधन का प्रस्ताव है।
- ❖ भिन्न–भिन्न श्रेणियों के व्यवसायियों की विवरणी दाखिल करने की अलग–अलग अंतिम तिथि निर्धारित किये जाने के लिए अधिनियम की धारा 24 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि अधिकांश व्यवसायियों के लिए एक ही तिथि निर्धारित होने के कारण अंतिम तिथि को विभागीय सर्वर पर सृजित भार को कम किया जा सकें।
- ❖ समाहितीकरण योजना के अधीन कार्य–संवेदकों की ग्रोस टर्नओवर में से निर्धारित दर से कटौती करने की अनुमान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 35 में संशोधन में प्रस्तावित है।
- ❖ कार्य संविदा के मामलों में श्रोत पर की जानेवाली कर की कटौती दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किये जाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 41 में संशोधन प्रस्तावित है।
- ❖ चूंकि सत्यापन के उपरान्त ईनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी एक निर्धारित समय–सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए अधिनियम में एक नई धारा 69क जोड़े जाने का प्रस्ताव है।
- ❖ ऑनलाईन ई–पेमेंट, ई–रिर्टन तथा अन्य ई–रिर्पोटों के दाखिल करने की निर्धारित तिथि को आवश्यकतानुसार विस्तारित करने की शक्ति आयुक्त को प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियम में एक नई धारा 98क जोड़े जाने का प्रस्ताव है।
- ❖ बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 में उर्जा के मूल्य पर जारी विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से इस अधिनियम की धारा 2 में संशोधन करते हुए उर्जा के मूल्य को परिभाषित किये जाने का प्रस्ताव है।

- ❖ पेशाकर में पेशाकर चुकानेवाले व्यक्तियों के लिये रिटर्न फाईलिंग और असेसमेंट की व्यवस्था को समाप्त किये जाने के उद्देश्य से पेशा कर अधिनियम की धारा 3 तथा धारा 7 में संशोधन का प्रस्ताव है।
- ❖ राज्य के सड़कों पर वाहनों के बढ़ते भार एवं इस कारण प्रदुषण की मात्रा में वृद्धि की स्थिति से निबटने हेतु एवं सड़कों के रख–रखाव पर होनेवाले खर्च में वृद्धि की दशा में अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था के उदेश्य से मोटरवाहन करारोपण अधिनियम के अधीन मोटर वाहनों पर लगनेवाले कर में वृद्धि का प्रस्ताव दिया जा रहा है। वर्त्तमान में मोटर साईकिल पर वैट रहित क्रय मूल्य का 6 प्रतिशत, 4 लाख रूपये तक के कार पर वैट रहित क्रय मूल्य का 6 प्रतिशत एवं 4 लाख से अधिक मूल्य के कार पर वैट रहित क्रय मूल्य का 7 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यापारी या निर्माता के अधीन मोटर साईकिल, भारी वाहनों के चेचिस एवं अन्य वाहन के लिए क्रमशः वार्षिक कर प्रति वाहन 150 रूपये, 250 रूपये एवं 200 रूपये प्रस्तावित है।